प्रकरण संख्या : 4/2021 तारीख दायरा 15.01.2021

## उनवान

1. बृजराज पुत्र लटूर जाति मेहर निवासी चतरपुरा तह. सांगोद।
2. बद्रीलाल पुत्र लटूर जाति मेहर निवासी चतरपुरा तह. सांगोद।
3. देवीशंकर पुत्र लटूर जाति मेहर निवासी चतरपुरा तह. सांगोद। –वादी

## बनाम

1. लटूर पुत्र गणेश जाति मेहर निवासी चतरपुरा तह. सांगोद।
2. चन्द्रकान्ती पुत्री लटूर जाति मेहर निवासी चतरपुरा तह. सांगोद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनॉक :– 26.02.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

## ––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2 प्रतिवादी सं.1 की संतान हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2 के पिता श्री लटूर प्रतिवादी सं.1 के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का [illegible] ही तह. सांगोद में खाता सं. नई 129 के ख.न. 159 की रकबा 4.39 है. आराजी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार राजस्व रेकार्ड है। वाद पत्र में अंकित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 को [illegible] के दादाजी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो कि उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं.2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से ही प्रतिवादी सं.1 के साथ बांट बराबर से हक व हिस्सा निहित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं.2 को अपना हिस्सा आराजी प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं.1 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिससे वादीगण को अपने पुश्तैनी हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने में तथा अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं.1 से अपने उक्त पुश्तैनी हिस्से की आराजी का तहसील कार्यालय में चलकर वादीगण के नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी सं.1 टालमटोल कर रहा है तथा वादीगण को अपने शांति पूर्वक कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी का विकास कार्य आदि करवाने में भी परेशानी आ रही है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से भी उक्त पुश्तैनी आराजी में अपना नाम दर्ज करने की कहने पर पटवारी हलका महोदय द्वारा भी माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिससे वादी ने उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा इकबाली जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का नाम खाते से हटाया जाकर संपूर्ण आराजी में वादीगण का नाम दर्ज करने पर सहमति व्यक्त की। वादीगण की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया। सभी पक्षकारों ने राजीनामे पर सहमति व्यक्त की। राजीनामा तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका [illegible] 129 के ख.न. 159 की रकबा 4.39 है. आराजी का वादीगण [illegible] हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम खाते से हटाये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी सं.2 के हिस्से तक की रिलीजडीड शुल्क पंजीयन कार्यालय में जमा कराये जाने पर ही उक्त आदेश की पालना की जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

र्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested